

1545 दि. 14.05.26 हाउस पंजीकरण (नमिनाका)
का

वाड पुकार पर वधाव पक्ष के विरुद्ध अधिवक्ता
न्यायालय में उपस्थित हुए। आयोग के पदाधिकारी
कहे हैं कि प्रत्युत वाड के वंशधरि भूल वाद -
मां प्रथम अपट जिता एवं एव न्यायाधीश, विरुद्ध
के न्यायालय में लांछित है। अतः प्रत्युत वाद -
वाड को भी भूल वाड के लायक माना जाने
हेतु मां प्रथम अपट जिता एवं एव न्यायाधीश
विरुद्ध के न्यायालय में भेजने की कृपा
की जाय।

देखा। उक्त पक्षों को हुमा। न्यायालय उपर
आदेश को अपट मां जिता एवं एव न्यायाधीश
देखार के पास भेजें।

दि. 01.06.26 वास्ते अध्यापन एवं गवाही

(लेखित)

01.06.26

कि मात्र वापसी के अधिकार को एव के लाय प्रत्युत
नियत गया।

वाड पुकार पर वधाव पक्ष के विरुद्ध अधिवक्ता
न्यायालय में उपस्थित हैं। विरुद्ध अधिवक्ता को
हुमा एवं अधिकार के अधिनियम कि। भूल एवं
वाड-03/24 का भी अधिनियम कि। प्रत्युत दोनो
वाडों में आरोप का गठन हो चुका है तथा दोनों
गवाही हेतु चला रहा है। अतः न्यायस्थि में
प्रत्युत वाद-489/24 को भूल वाड-03/24
के लाय समायोजित किया जाना है। तथा दोनों
15.05.26 के आदेश को आज की तिथि में हुमा
कहे हुए गवाही हेतु नियत किया जाना है।

(लेखित)

15.05.26

15.05.26

01.6.26